5DO

06/07/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उप. । अप्रार्थी सं. (2) के अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने प्रा. पत्र जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण। द्वारा वर्णित भूमि मुण्डारा के ख. नं. 158 रकबा 4.04 हैक्टर में से रकबा 3.4296 हैक्टर सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर महोदय पाली के आदेश क्रमांक एफ 12(3)(124) संप. /रज /(2) 772 दि. 22-2-13 से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की जा

/

जि. पाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	चुकी है। भूमि संपरिवर्तन के आदेश की प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का मुण्डरा को भिजवाई जा चुकी है लेकिन तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधियों द्वारा संपरिवर्तन आदेश की पालना में जमाबंदी मे आबादी दर्ज नहीं करने से अप्रार्थी तहसीलदार बाली गलत रूप से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।
	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न संपरिवर्तन आदेश के अवलोकन से यह ज्ञात है कि प्रार्थी तहसीलदार बाली द्वारा जिस भूमि के संबंध में धारा 177 राज काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन वर्णित करते हुये प्रकरण पेश किया है वह भूमि ग्राम मुण्डरा के खसरा नं 158 रकबा 4.04 हैक्टर में से 3.4296 हैक्टर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 772 दिनांक 22-2-2013 से आवासीय कॉलोनी में संपरिवर्तनशुदा भूमि है जिससे वर्णित भूमि कृषि भूमि न होकर आवासीय भूमि है। भूमि आवासीय होने से हस्तगत प्रकरण पर धारा 177 RTA के प्रावधान का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं है। कार्यवाही ड्रॉप की जाकर पत्रावली फैसल शुमार की जाती है।
	SDO